टेलीफोन : 0135–2781201
ईमेल आई: info@ukmc.in

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

पत्र संख्या 553/उ.अ.आ./04–जनजानकारी अभि./नैनीताल/2024–25 दिनांक 29 जुलाई, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–नैनीताल।

विषयः– **श्री मज़हर नईम नवाब (राज्य मंत्री स्तर), मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के दिनांक 29 जुलाई, 2024 को सर्किट हाउस, काठगोदाम में जन–जानकारी अभियाान कार्यक्रम के अन्तर्गत समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के पत्र सं0–1376/01 दिनांक 24.07.2024, जो ईमेल के माध्यम से मा0 आयोग कार्यालय को दिनांक 25.07.2024, को प्राप्त हुआ है, जिसमें मा0 उपाध्यक्ष जी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि *मेरे समक्ष कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में दिनांक 29 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जन जानकारी अभियान के तहत जिला स्तर की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं जो भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार व हल्द्वानी विधानसभा में पेयजल की गम्भीर समस्या के कारण क्षेत्र की जनता की शिकायतें मा0 आयोग के समक्ष लगातार प्राप्त हो रहीं है। जिसमें क्षेत्र के ट्यूबवेल के मेन्टेनेन्स व विद्युत कटौती के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसको लेकर बैठक बुलाना अति आवश्यक है। पूर्व की भांति होने वाली बैठकों में उपस्थित होने वाले अधिकारियों के साथ अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों को भी उपस्थित होने का निर्देश पारित किया जाए। जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र लिखकर सूची के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें व सन् 2023–24, 2024–25 में चल रहे विकास के कार्य, योजनाओं से संबंधित जानकारी सहित उपस्थित हों।*

1. पुलिस विभाग।	2. शिक्षा विभाग।	3. चिकित्सा विभाग।
2. परिवहन विभाग।	5. नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत	6. अग्रणी बैंक।
7. वन विभाग।	8. पंचायती राज।	9. श्रम विभाग।
10. सेवायोजन विभाग।	11. निर्माण से संबंधित समस्त कार्यदायी संस्था।	12. राजस्व विभाग।
13. अर्थ एवं संख्या विभाग।	14. जिला विकास कार्यक्रम विभाग।	15. कृषि विभाग।
15. उद्यान विभाग।	17. समाज कल्याण विभाग।	18. मत्सय विभाग।
19. डेरी विभाग/दुग्ध विभाग।	20. सूचना विभाग।	21. उद्योग विभाग।
22. खादी ग्रामोद्योग विभाग।	23. पशुपालन विभाग।	24. खाद्यान विभाग।
25. जिला युवा कल्याण विभाग।	26. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।	

27. महा प्रबन्धक जल संस्थान भीमताल, नैनीताल। 28. अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थाना, हल्द्वानी, नैनीताल।
29. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शहरी क्षेत्र, हल्द्वानी। 30. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, ग्रामीण क्षेत्र, हल्द्वानी।
31. कनिष्ठ अभियन्ता(जे0ई0) (जल संस्थान) समस्त नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र, हल्द्वानी।
32. ए0सी0(अधीक्षण अभियन्ता) विद्युत विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
33. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग नगरीय क्षेत्र, हल्द्वानी।
34. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, ग्रामीण क्षेत्र, हल्द्वानी।
35. अवर अभियन्ता, विद्युत विभाग, समस्त बिजलीघर नगरीय क्षेत्र हल्द्वनी।
36. अवर अभियन्ता, विद्युत विभाग, समस्त बिजलीघर ग्रामीण क्षेत्र हल्द्वनी।
37. कनिष्ठ अभियन्ता(जे0ई0) (विद्युत विभाग) समस्त नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र, हल्द्वानी।
38. अधिशासी अभियन्ता, विश्व शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
39. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, अरबन सेक्टर शहरी विभाग कमलुआगांजा, हल्द्वानी, नैनीताल।
40. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, हल्द्वानी, नैनीताल

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया काठगोदाम स्थित सभागार को उक्त प्रस्तावित समीक्षा बैठक हेतु आरक्षित कराने के साथ–साथ अपने स्तर से उक्त अधिकारियों सहित जनपदीय अन्य समस्त विभागीय अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से अपने–अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की उक्तानुसार सूचनाओं एवं उनके विभाग द्वारा संबंधित योजनाओं से अल्पसंख्यक

...ाय को लाभान्वित किये जाने से संबंधित सूची/सूचनाओं सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

आज्ञा से,

(जे.एस. रावत)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

पृष्ठाकंन संख्या 553 **एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून को उक्तानुसार प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
3. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जन—जानकारी अभियान बैठक को सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराते हुए उपरोक्तानुसार मीडिया बन्धुओं को प्रेस वार्ता में आने हेतु अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यक्रम एवं बैठक के सफल संचालन हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था एवं सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मा0 आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।